developed by the Punjab Agricultural University in cotton, rice and wheat are as follows :—

1. Cotton :—American Cotton—J 34, J 205, F 414, LH 372, F 286, LH 900, F 505, LH 866.

   Desi Cotton—G 227, LD 133, LD 230, LD 327.
   Hybrid Cotton—Fateh.

2. Rice :—PR 4141, Punjab Basmati-1, PR 108, PR 109, PR 110 and Basmati 385.

3. Wheat :—PBW 12, WL 711, WL 1562, WL 2265, PBW 65, PBW 138, PBW 154, PBW 175, PBW 226 and PBW 299.

(b) The area under sugarcane in Punjab varies from year to year and it rotates around 1 lakh hectares. However, sugercane crushed during 1990-91, 1991-92, and 1992-93 was 3102000, 4173000 and 4351000 tonnes, respectively. Those sugar factories which have limited irrigation facility experience lack of sufficient cane for entire crushing period. The Fazilka Co-operative Sugar Mills has crushed 195000, 233000, 103000 tonnes during 1990-91, 1991-92 and 1992-93 seasons, respectively. The sugarcane average depends on price and other factors.

देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3318. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री 10 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1070 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी को समाप्त करने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आगामी 15 वर्षों में वर्तमान कृषि उत्पादन को दुगना करने की भारी आवश्यकता है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है; और

(ग) क्या सरकार देश की कृषि नीति में ऐसे प्रोत्साहनों की घोषणा करेगी ताकि उससे आर्थिक विषमता से त्रस्त किसान वर्ग को लाभान्वित किया जा सके और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सरकार की कृषि नीति का लक्ष्य बढ़ती हुई आबादी हेतु खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए गेहूं, मक्का और कदन्न हेतु विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम और विशेष पटसन विकास कार्यक्रम राज्यों के कृषि विभागों के जरिए अभिज्ञात राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए नई किस्मों, सूक्ष्म पोषकों, पर्यावरण-सह कृमिनाशियों, पादप रक्षण उपस्करों, उन्नत कृषि उपकरणों आदि की वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा तकनोलॉजी के प्रभावी अन्तरण के लिए किसानों के खेतों पर क्षेत्रगत प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं तथा किसानों/कृषि मजदूरों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा नव-विकसित स्थान विशिष्ट उच्च उत्पादक किस्मों के प्रचार के लिए किसानों को नाम मात्र की लागत पर बीजों के मिनिकिट वितरित किए जा रहे हैं।

दूध का उत्पादन

3319. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री बोरेन जे. शाह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 70 मीट्रिक टन रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उक्त मद के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने दुग्ध उत्पादन के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के दुधारू पशुओं के दूध देने के वर्तमान औसत में वृद्धि करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि दूध की कीमतें नहीं बढ़ें और यह आम आदमी की खरीद क्षमता की पहुंच में रहे; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों के कार्यक्रमों के अलावा दुग्ध उत्पादन के 70 मिलियन टन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले केन्द्रीय प्रायोजित निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार किया गया है:--

	परिव्यय 1992-97 (करोड़ रुपये में)
1. गोपशु विकास	50.25
2. आहार तथा चारा विकास	35.25
3. स्वास्थ्य कवर	160.88
4. विस्तार कार्यकलाप	10.00
5. डेरी विकास	900.00

(घ) और (ङ) आम जनता के हित में वांछित गुणवत्ता वाले तरल दूध की अधिक आपूर्ति को बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का 10) के अन्तर्गत हाल ही में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 की घोषणा की है। यह आदेश सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को हुआ नुकसान

3320. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 1993 के दैनिक "स्टेट्समैन" में "127,000 टन्स स्पाइल्ड इन स्टोरेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी क्योंकि यह 127,000 टन खाद्य तेल को नहीं बेच पाया जो तीन वर्ष से लगातार भंडार में रखा हुआ था और खराब हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी आर्थिक हानि हुई और खाद्य तेल को खराब होने से न बचा पाने के क्या कारण थे; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा खाद्य तेल की भंडारण व्यवस्था पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मण्डी हस्तक्षेप प्रचालन के तहत, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को खाद्य तेलों की खरीद और संग्रह तथा कमी वाले मौसम में तेलों की माल सूची बनाने का कार्य सम्पन्न करना होता है। जब भी खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता में सुधार होता है मंडी हस्तक्षेप प्रचालन के तहत तेल का स्टॉक काफी लंबी अवधि के लिए रखना होता है। जैसा कि वर्ष 1992-93 में किया गया, जब खाद्य तेलों की 1.26 लाख मीटरी टन मात्रा की मालसूची चालू वर्ष तक आगे लाई गई। इसके अतिरिक्त बर्तनों की पेन्दी में तेल जमा रहने से कमी-कभी कुछ समय के बाद तेल की कुछ मात्रा की क्वालिटी खराब हो जाती है जो